## ्रप्रपत्र—30.3

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 6.00 किमी0)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम तहसील व जिला–-अल्मोडा

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिनरे लिवाड़ी, चिनरे पत्न, प्रनान्स, पैलालद्वारा दिनांक 25/10/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसग्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिनर लिनही मन्योली, चिनरे पत्न, प्रतालार व परशाल .....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वि०ख० भैसियाछाना (अल्मोडा)

ताय प्रामान जिनके तिवाब विकास खण्ड-्यालवाय जिल्हा - अत्मोडा

ग्राम सचिव

## प्रपत्र-30.4

दिनांक 25/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चिक्रे त्निवाडी व सन्याली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हरताक्षर
	90	
1-	चम्मा देवी	ATA
2-	देवेन्द्र प्रसाद	Derey
3.	नवीन कुमार	add the
4 -	रने वाष कुमा	संदीष कुमार
5-	भन्ज लोरा	मंग्रू कीरा-
6 -	गीनिन्दे राभ	Ind II
7 -	7131-2742	- AB
8-	राजन सिंह	राजन सिंह
9-	केलाश राम्	and shud
10-	12) 212 212	Stor.
()	9-14-9-3	द्वीव

ध्यान् जब ग्रीम प्रधान ग्रिजन्म

1. 6

## प्रपत्र-30.4

दिनांक 25./10./20.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हरताक्षर
	4 न्द्रत ला ला	Segaria
	Gent 4-2	V.fint
	Intal - ally-n	ficture :
N	81/16513.40	H. V. hut
	गिरीया चार्य पत्स नेभून देवा न ला देवा	512121-24S W-
	न लग देवां	4 मता डे जी
	राज ची देवी	रजन्वाडेनी
	3-11211391	अग्रहाडे ना
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	भूरन सिंह	भुक्त सिंह

ग्राम पंचायत - स्वित् पना

ग्राम प्रधान

चावन MARTIN OBO अल्म.ड्रा

## प्रपत्र-30.4

दिनांक 25/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	fin ngmil	Gint
2	al & m	miz Em
3	51215	ENCINE
Y	32 43072 1202	3JU-STRE
5	21104	entin
6	343ME	Ann
7	2 Re-	212/212
. 3	minig	ZPKAIG
9	(gur () - n3	· · · CA
(0	219321-2-2	2) tourne
	1	

ग्राम पंचायत-परकाल व भ्राक्र

08 शाल ग्राम प्रधान

1 1 1

#### प्रपत्र—30.2

परियोजना का नाम :—जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 6.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, ——————

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत 2.43875 है० का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक ०७- ग- १७

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री निवेक उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-. निवेक राय उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष २०२०४
2- प्रविवीराज किहान उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य रिवर्ण किवान प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य रिवर्ण किवान प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य रिवर्ण किवान किवा किवान किवान

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना हेतु 2.43875 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.43875 हे0 वन भूमि नि0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> जिलाधिकारी ∕ अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील व जनपद अल्मोड़ा

5. 1.11.()

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रिप्तरीय वन् अधिकार समिति तहसील व जनपद अल्मोडा

### FORM-1 Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated. 8.-1.1.-.1.7.

#### **TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chitai Pant, Chitai Pant tiwari, Manyoli, Punakote, Petshal Village (s) in Almora tahsils.** 

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.

Encl: As above

STOT N រដាយ ខាតែគេរៅ

Signature

Iva Aashish Shri District Collector, Almora

## FORM-II Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No.....

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chitai Pant, Chitai Pant tiwari, Manyoli, Punakote, Petshal Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Nainoli, Sonasiling villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

अधिकारी

Iva rashish Shrivastawa District Collector, Almora

### **ANNEXURE-1**

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

## <u>Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under</u> <u>schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognițion of rights) act</u> <u>(FRA). 2006</u>.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

ा अधिकारी

Place; Almora

किंतां सनान

Deputy Commissioner-cum-Chairman **District** Level Committee